भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 707

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

**सरकारी मुकदमेबाजी का उच्च व्यय**

**707. श्रीमती वंदना चव्हाण :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में चल रही उस मुकदमेबाजी का प्रतिशत कितना है, जिसमें सरकार एक पक्षकार है ;

(ख) उपरोक्त मुकदमेबाजी का प्रतिशत क्या है, जिसे सरकार द्वारा शुरू किया गया है;

(ग) विगत पांच वर्ष़ों में सरकारी मुकदमेबाजी पर वर्ष-वार कितना व्यय हुआ है ;

(घ) क्या सरकार की मुकदमेबाजी को संभालने के लिए मंत्रालय में एक पृथक विभाग बनाने की कोई योजना है ; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति का नया संस्करण बनाया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो हितधारक परामर्श और ‘राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2010' से प्रस्तावित परिवर्तनों सहित आज की तिथि तक कितनी प्रगति हुई है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :**  ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है ।

**(ग) :** इस संबंध में संकलित आंकड़े उपलब्ध नहीं है । तथापि, गत पांच वर्ष की अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालों में विधि अधिकारियों/सरकारी अधिवक्ता/पैनल परामर्शी को फीस के संदाय के लिए विधि और न्याय मंत्रालय में बजटीय उपबंध निम्नानुसार हैः-

|  |  |
| --- | --- |
| वित्तीय वर्ष | रकम (रुपयों में) |
| 2013-2014 | 26,52,01,000 |
| 2014-2015 | 28,45,76,000 |
| 2015-2016 | 42,77,86,000 |
| 2016-2017 | 51,23,11,000 |
| 2017-2018 | 68,32,39,000 |

**(घ) :** जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**(ङ) :** वर्ष, 2010 में सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय वाद नीति गठित की गई थी । चूंकि इसे सक्षमप्राधिकारी के समक्ष नहीं रखा जा सका अतः इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका । नई राष्ट्रीय वाद नीति का गठन सरकार के विचाराधीन है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*